<u>न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-1 बारां (राज०)</u>

पीठासीन अधिकारी

प्रमोद कुमार शर्मा,

(RJS–DJ CADRE)

निर्णय दिनांक: 06-04-2026

सेशन प्रकरण सं. **46/2019**

सी.आई.एस. नं. **86/2018**

C.N.R. No. RJBR010005152018

एफ.आई.आर.संख्या 35/2018 पुलिस थाना किशनगंज

जुर्म धारा 341, 323, 308, 504 सपठित धारा 34 भा०दं०सं०

PART– I

<u>A</u>

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री ललित नागर, अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01. काल्या उर्फ राजेन्द्र उम्र 25 वर्ष पुत्र गोबरीलाल 02. संजू उर्फ संदीप उम्र 22 वर्ष पुत्र गोबरीलाल 03. बीनू पुत्र गोबरीलाल उम्र 20 वर्ष पुत्र गोबरीलाल निवासीगण किशनाईपुरा थाना किशनगंज जिला बारां (राज0)
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री दुल्हे सिंह, अभियुक्तगण की ओर से।

<u>B</u>

अपराध की दिनांक		03-03-2018
एफ०आई०आर० की दिनांक		05-03-2018
आरोप पत्र की दिनांक		27-04-2018
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		25-09-2018
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		06-04-2026
निर्णय सुनाने की दिनांक		06-04-2026
दण्डादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	-

C
अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः

अभियुक्त/ अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/ अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परीवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	काल्या उर्फ राजेन्द्र	14.03.2018	20.03.2018	341,323,308, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं.	धारा 308,504 भा0 दं0 सं0 में दोषमुक्त एवं धारा 341,323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 में दोषसिद्ध	परिवीक्षा का लाभ एवं अर्थदण्ड से दंडित	अभियुक्त दिनांक 14.03.18 से दिनांक 20.03.18 तक पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में रहा।
02.	संजू उर्फ संदीप	14.03.2018	20.03.2018	341,323,308, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं.	धारा 308,504 भा0 दं0 सं0 में दोषमुक्त एवं धारा 341,323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 में दोषसिद्ध	परिवीक्षा का लाभ एवं अर्थदण्ड से दंडित	अभियुक्त दिनांक 14.03.18 से दिनांक 20.03.18 तक पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में रहा।
03.	बीनू	14.03.2018	20.03.2018	341,323,308, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं.	धारा 308,504 भा0 दं0 सं0 में दोषमुक्त एवं धारा 341,323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 में दोषसिद्ध	परिवीक्षा का लाभ एवं अर्थदण्ड से दंडित	अभियुक्त दिनांक 14.03.18 से दिनांक 20.03.18 तक पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में रहा।

PART– II
साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
PW1	कमला बाई	EYE WITNESS
PW2	उर्मिला	EYE WITNESS
PW3	दूधाराम	EYE WITNESS
PW4	रामलखन	OTHER WITNESS
PW5	पप्पू	COMPLAINANT
PW6	डॉ० गिर्राज मीणा	MEDICAL WITNESS
PW7	मुन्नीबाई	EYE WITNESS
PW8	बलवीर सिंह	POLICE WITNESS
PW9	अभय सिंह	POLICE WITNESS & I.O.
PW10	कासम दीन	POLICE WITNESS
PW11	युवराज सिंह	POLICE WITNESS
PW12	दयाराम	OTHER WITNESS

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1	नक्शा मौका घटनास्थल
2	Ex P2	फर्द जप्ती खून आलूदा बनियान पप्पू
3	Ex P3	पर्चा बयान व चोट प्रतिवेदन पप्पू
4	Ex P4	पुलिस बयान मुन्नीबाई
5	Ex P5	चाक एफआईआर
6	Ex P6	फर्द गिरफतारी मुलजिम काल्या उर्फ राजेन्द्र
7	Ex P7	फर्द गिरफतारी मुलजिम संजू उर्फ संदीप
8	Ex P8	फर्द गिरफतारी मुलजिम बीनू
9	Ex P9	फर्द सूचना दफा-27 मुलजिम काल्या
10	Ex P10	फर्द सूचना दफा-27 मुलजिम संजू उर्फ संदीप
11	Ex P11	फर्द सूचना दफा-27 मुलजिम बीनू
12	Ex P12	फर्द जप्ती कूटिया मुल0 काल्या
13	Ex P13	फर्द जप्ती लकडी मुलजिम संजू उर्फ संदीप
14	Ex P14	फर्द जप्ती बांस की लकडी मुलजिम बीनू

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	-	-

(C) न्यायालय प्रदर्शः

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	-	-

(D) सारवान वस्तु एवं मालखानाः

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
-	-	-	

01. इस प्रकरण में पुलिस थाना किशनगंज के भारसाधक अधिकारी द्वारा आरोप पत्र अभियुक्तगण काल्या उर्फ राजेन्द्र, संजू उर्फ संदीप व बीनू के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 341, 323, 308, 504 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज जिला बारां में प्रस्तुत किया, जहां से यह प्रकरण श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां को कमिट होने व कालान्तर में इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त होने पर दिनांक 11.09.2019 को दर्ज रजिस्टर हुआ।

02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.03.2018 को फरियादी पप्पूलाल ने जैर ईलाज राज0 चिकि0 बारां में हेड कानि0 थाना किशनगंज के समक्ष एक पर्चा बयान इस आशय का दिया कि दिनांक 03.03.2017 को समय करीब 6.00 बजे सुबह की बात है। वह हाथ मुंह धोकर अपने घर वापस आ रहा था कि रमेश सहरिया के मकान के सामने उसे दीनू, काल्या व संजू मिले। कालिया के हाथ में कूटिया तथा दीनू व संजू के हाथ में लकडी थी। संजू ने उसे आडे फिर कर रोक लिया तथा काल्या ने अपने हाथ के कूटिया की उसके सिर के मारी। वह चिल्लाकर गिर पडा फिर संजू व दीनू ने अपने हाथ की लकडियों से उसके पैरों में मारी। उसके चिल्लाने व गाली गलोच की आवाज सुनकर रमेश चंद, उसकी पत्नी कमला बाई व मुन्नीबाई दौडकर आये। उनको आता देखकर वे लोग भाग गये। फिर उसकी पत्नी व उसके घरवाले ईलाज हेतु किशनगंज लेकर आये, जहां से रेफर करने पर बारां अस्पताल लेकर आये, इत्यादि।

03. उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना किशनगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 35/2018 अंतर्गत धारा 341,323,308,504,34 भारतीय दण्ड संहिता में मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण काल्या उर्फ राजेन्द्र, संदीप उर्फ संजू व बीनू के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 341, 323, 308, 504 सपठित धारा 34 भा०द०स० का आरोप प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र संबंधित न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त न्यायालय द्वारा उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लेकर पत्रावली सेशन न्यायालय को कमिट की गयी।

04. बहस चार्ज सुनी जाकर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण काल्या उर्फ राजेन्द्र, संदीप उर्फ संजू व बीनू के विरूद्ध धारा 341, 323, 308, 504 सपठित धारा 34 भा०द०स० के आरोप विरचित करने के आधार होने के कारण पृथक से उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्तगण को धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत परीक्षित किया गया जिसमें उन्होंने अभियोजन कहानी को गलत होना बताते हुये झूंठा फंसाया जाना एवं निर्दोष होना कथन किया।

अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा परंतु अवसर दिये जाने पर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की जिस पर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

06. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। अपर लोक अभियोजक की ओर से बहस में तर्क किये गये हैं कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप प्रमाणित किये जा चुके हैं। अभियोजन साक्ष्य में कोई विरोधाभास नहीं है। मेडिकल साक्ष्य से भी आरोप प्रमाणित हुए हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की गई।

07. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क किये हैं कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं हुए हैं। अभियोजन साक्ष्य में विरोधाभास है। परिवादी ने अपने पर्चा बयान में उसके सिर में कूटिया से कई चोटें मारना बताया है, जबकि उसके सिर पर कुंद हथियार से एक ही साधारण प्रकृति की चोट पायी गयी है। मजरूब के शरीर पर कारित तीनों चोटें कुंद हथियार से कारित साधारण प्रकृति की चोटें हैं। सभी गवाहान परिवादी के हितबद्ध साक्षीगण हैं, जिनके द्वारा तीनों मुलजिमान जो कि सगे भाई हैं, के विरूद्ध झूंठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। बरामद हथियारों से मारपीट किया जाना प्रमाणित नहीं है। अभियुक्तगण की ओर से घटना के बाबत जो क्रोस केस दर्ज करवाया गया था, उसमें अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के पक्ष में राजीनामा पेश किया जा चुका है। उक्त राजीनामा में परिवादी ने यह अंकित किया था कि वह इस प्रकरण में भी राजीनामा प्रस्तुत कर देगा। जबकि उसके द्वारा राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया है। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध का आरोप प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को सभी अपराधों के आरोप में दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

08. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है कि :-

(i) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 03.03.2017 को सुबह 6.00 बजे के लगभग बमुकाम ग्राम किशनपुरा सहरिया बस्ती में आम मार्ग पर परिवादी पप्पूलाल को उसकी इच्छित दिशा में जाने से निवारित कर उसका सदोष अवरोध करते हुए अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में परिवादी पप्पूलाल के साथ स्वेच्छया कुंदालय से मारपीट कर उसके शरीर पर साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित की तथा परिवादी पक्ष को लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय गाली-गलौंच कर अपमानित किया?

(ii) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में साशय अथवा इस जानकारी के साथ उन परिस्थितियों में परिवादी पप्पूलाल के साथ कुंद हथियार से मारपीट कर उसके शरीर पर ऐसी उपहतियां कारित की

जिससे यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में नहीं आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते ?

(iv) यदि हां तो उसका उचित दंडादेश क्या होगा?

विचारणीय बिंदु सं0-1 एवं 2 -

09. प्रकरण में अभियोजन कहानी को प्रमाणित करने के उददेश्य से अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाहान में से पी0डब्ल्यू-5 परिवादी पप्पूलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब ढाई साल पहले सुबह 6.00 बजे की बात है। वह अपने हाथ मुंह धोकर घर वापस आ रहा था। रमेश सहरिया के मकान के सामने उसे बीनू, काल्या पुत्रगण गोबरीलाल व एक का नाम वह नहीं जानता, मिले। काल्या के हाथ में कुटिया व बीनू व दूसरे के हाथ में लकडी थी। उसे बीनू ने रोक लिया और काल्या ने अपने हाथ में लिये कुटिये से मारपीट की, जिससे उसके सिर में लगी तथा बीनू व उसके साथी ने लकड़ी से मारपीट की, जो उसके पैर में लगी। मौके पर झगडे की आवाज सुनकर रमेश, लखन व एक औरत ओर आ गई थी। इनके आते ही यह लोग भाग गये थे। उसके घरवाले ईलाज हेतु किशनगंज ले गये। वहां से उसे बारां रैफर कर दिया। उसका मेडिकल मुआयना हुआ था। इस घटना का उसका पर्चा बयान अस्पताल बारां में पुलिस आयी थी, जब लिये थे जो पर्चा बयान प्रदर्श पी 03 है जिस पर एक्स स्थान पर दो जगह उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 बनाया था जिस पर ई से एफ उसके हस्ता० हैं। पुलिस ने उसके बनियान खून आलूदा जब्त की थी, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 02 है जिस पर सी से डी उसके हस्ता० हैं।

10. गवाह पी0ड0-1 कमला बाई ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि पप्पू उनके गांव का है। आज से करीब एक वर्ष पूर्व सुबह 6-7 बजे के लगभग मुल्जिमान काल्या, बिन्नू व सन्जू हाथों में कूटिया व लकड़ी लेकर आये तथा पप्पू को आडे फिरकर रोक लिया। काल्या ने कूटिया की पप्पू के सिर पर मारी एवं सन्जू व बिन्नू ने लकडी की पप्पू के सिर पर मारी। फिर उसने, उसके पति रमेश व मुन्नी ने पप्पू का बीच बचाव किया, उसके बाद मुल्जिमान वहां से भाग गये।

अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से जिरह किये जाने पर गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि वह आज नहीं बता सकती कि किसने किसके कहां पर मारी। मुलजिम काल्या ने कूटिये की पप्पू के सिर पर मारी थी। मुलजिम संजू ने कूटिये की पप्पू के सिर पर मारी थी तथा मुलजिम बीनू ने भी कूटिये की पप्पू के सिर पर मारी थी। उसने बीच बचाव किया था लेकिन उसके कोई चोट नहीं आयी थी।

11. गवाह पी0ड0-2 उर्मिला ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि पप्पू उसका पति है। आज से करीब एक वर्ष पूर्व सुबह 6-7 बजे करीबन वह उसके घर में काम कर रही थी। उसका पति पप्पू रोड़ पर था। उस समय उसे लडाई झगडे

की आवाज सुनाई दी, जिस पर वह बाहर पहुंची तो हाजिर अदालत मुल्जिमान काल्या, सन्जू व बिन्नू उसके पति पप्पू के साथ मारपीट कर रहे थे, जिसमें काल्या ने कूटिया की उसके पति पप्पू के सिर पर मारी तथा बिन्नू व सन्जू ने लकड़ियों की उसके पति के हाथ-पैरों पर मारी। उसके बाद रमेश, कमला व मुन्नी बाई वहां पर आ गये जिनको देखकर मुल्जिमान वहां से भाग गये। वह उसके पति को लेकर किशनगंज अस्पताल लेकर आई, जहां से उसके पति को बारां अस्पताल लेकर आई। मुल्जिमान शराब पीकर उनके मकान में घुस गये थे जिस पर उन्होंने मुल्जिमान को मना किया था। इसी बात को लेकर मुल्जिमान ने उसके पति पप्पू के साथ मारपीट की।

अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से जिरह किये जाने पर गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि बीच बचाव में उसके कोई चोट नहीं आयी थी।

12. गवाह पी0ड0-3 दूधाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि पप्पू उसका भाई है। आज से करीब एक वर्ष पूर्व सुबह 6-7 बजे करीबन वह अपने घर पर था। उस समय रमेश के मकान के सामने लडाई झगडे की आवाज सुनकर वह वहां पर गया तो देखा कि हाजिर अदालत मुल्जिमान काल्या, बिन्नू व सन्जू उसके भाई पप्पू के साथ मारपीट कर रहे थे। काल्या ने कूटिया की पप्पू के सिर पर मारी एवं बिन्नू व सन्जू ने लकडियों की पप्पू के हाथ-पैरों पर मारी। उसके बाद रमेश, मुन्नी व कमला बाई आये जिन्होंने बीच बचाव किया। उसके बाद उसकी भाभी उर्मिला ईलाज हेतु पप्पू को लेकर किशनगंज अस्पताल लेकर गई। उनके व मुल्जिमान के बीच बाड़े को लेकर विवाद था, इसी बात को लेकर मुल्जिमान ने उसके भाई पप्पू के साथ मारपीट की। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी-1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके भाई पप्पू ने वक्त घटना पहनी हुई एक बनियान खून आलूदा पुलिस को दी जिसे पुलिस ने सील्ड मोहर कर जर्ये फर्द प्रदर्श पी-2 जप्त की जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

13. गवाह पी0ड0-4 रामलखन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब डेढ साल पहले की बात है। पप्पूलाल व मुलजिमान कालूलाल, संजू के बीच झगडा हुआ था, जिसका पुलिस ने नक्शा मोका प्रदर्श पी-1 बनाया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

14. गवाह पी0ड0-06 डॉ0 गिर्राज मीणा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 05.03.2018 को सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र किशनगंज पर चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना किशनगंज के निवेदन पर मजरूब पप्पुलाल पुत्र बिशनलाल के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था, जिसके शरीर पर चोट न 01 टांके लगा हुआ कुचला हुआ घाव 5x1 से0मी0 दांयी तरफ सिर पर, चोट नं. 02 बांये हाथ पर दर्द होना बताना, चोट न. 03 दांये हाथ पर

दर्द होना बताया, उक्त सभी चोटे कुंद हथियार से कारित थी एवं साधारण प्रकृति की पाई गई। सभी चोटों की अवधि एक सप्ताह के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है एवं सी से डी मज़रूब के पहचान चिन्ह अंकित है।

15. गवाह पी0ड0-7 मुन्नीबाई ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके सामने मुलजिमान काल्या, संजू और बीनू ने पप्पू के सिर पर या अन्य शरीर के हिस्सों पर मारपीट नहीं की। उक्त गवाह को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही किये जाने पर जिरह अपर लोक अभियोजक में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी-4 का ए से बी भाग पुलिस को देने से इन्कार किया है।

16. गवाह पी0ड0-08 बलवीर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 03.03.2018 को वह पुलिसथाना किशनगंज पर हेड कानि0 के पद पर तैनात था। उस दिन जर्ये टेलिफोन राज० चिकि० बारां से सूचना मिली थी कि पप्पूलाल सहरिया इमरजेंसी वार्ड में मजरूबी हालत में भर्ती है। इस सूचना पर वह राज० चिकि० बारां पहुंचा, जहां पर जैर ईलाज भर्ती पप्पू सहरिया के पर्चाबयान प्रदर्श पी-3 लेखबद्ध किये थे, जिसकी पुश्त पर ए से बी पृष्ठांकन अंकित कर वापसी थाना आकर पर्चा बयान थानाधिकारी को पेश किया, जिस पर प्रकरण सं0 35/18 धारा 341,323,308,504,34 भा०दं०सं० में दर्ज किया था। प्रदर्श पी-3 पर सी से डी उसके हस्ता० है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी-5 है जिस पर ए से बी उसके हस्ता० है।

17. गवाह पी0ड0-09 अभय सिंह ने दौराने विचारण साक्ष्य दी है कि दिनांक 03.03.2018 को वह थाना किशनगंज पर एसआई के पद पर तैनात था। उस दिन हेड कानि0 बलवीर सिंह ने राजकीय चिकित्सालय बारां से फरियादी पप्पूलाल का पर्चा बयान प्रदर्श पी-3 हेमन्त गौतम एसएचओ के समक्ष लाकर पेश किया था, जिन्होनें मुकदमा कायमी का पृष्ठांकन अंकित कर प्रकरण की तफतीश उसके सुपुर्द की थी। दौराने तफतीश गवाह मुन्नीबाई, पप्पूलाल, दूधाराम, कमलाबाई, रमेश, उर्मिलाबाई के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। दौराने तफतीश घटनास्थल पर पहुंचकर वहां का नक्शामौका प्रदर्श पी-1 मुर्तिब किया था। फरियादी पप्पू के खून आलूदा कपड़े बनियान जर्ये प्रदर्श पी-2 से जप्त कर सीलमोहर किये थे। मजरूब का मेडिकल मुआयना शामिल पत्रावली किया था। मुल० काल्या उर्फ राजेन्द्र, संजू उर्फ संदीप व बीनू सहरिया को जर्ये प्रदर्श पी-6, 7, 8 से गिरफ्तार किया था। जैर हिरासत मुल० काल्या उर्फ राजेन्द्र ने स्वैच्छयापूर्वक सूचना दी कि एक कूटिया मकान में रखा है, जिसे चलकर बरामद करा सकता है जो प्रदर्श पी-9 है। जैर हिरासत मुल० संजू उर्फ संदीप ने स्वैच्छयापूर्वक सूचना दी कि उसके मकान पर रखी लकड़ी को बरामद करा सकता है जो सूचना प्रदर्श पी-10 है। जैर हिरासत मुल० बीनू सहरिया ने स्वैच्छयापूर्वक सूचना दी कि उसने एक लकड़ी उसके मकान पर रख रखी है, जिसे चलकर बरामद करा सकता है जो प्रदर्श पी-11 है। मुताबिक सूचना मुल० काल्या उर्फ

राजेन्द्र ने अपने बताये स्थान से एक कूटिया निकालकर पेश किया जिसे जर्ये प्रदर्श पी- 12 से जप्त कर सीलमोहर किया तथा पुश्त पर नक्शा अंकित है। मुताबिक सूचना मुल॰ संजू उर्फ संदीप ने अपने बताये स्थान से एक लकड़ी बांस की निकालकर पेश की जिसे जर्ये प्रदर्श पी-13 से जप्त कर सीलमोहर किया तथा पुश्त पर बरामदगी का नक्शा अंकित है। मुताबिक सूचना मुल॰ बीनू ने अपने बताये स्थान से एक लकड़ी बांस की निकालकर पेश की, जिसे उसने जर्ये प्रदर्श पी-14 से जप्त कर सीलमोहर किया था तथा पुश्त पर नक्शा अंकित है जिन सभी फर्दात पर उसके एवं संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर हैं। बरामदशुदा माल जमा मालखाना कराया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है, जिस पर सी से डी हेमन्त गौतम के हस्ता॰ है। बाद तफतीश पत्रावली एसएचओ हेमन्त गौतम के सुपुर्द कर दी थी, जिनके द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया था।

18. गवाह पी0ड0-10 कासम दीन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 15.03.2018 को वह पुलिस थाना किशनगंज पर कानि0 के पद पर तैनात था। उस दिन वह अभयसिंह एसआई अनुसंधान अधिकारी के साथ मुल॰ काल्या उर्फ राजेन्द्र, संजू उर्फ संदीप व बीनू को लेकर मय कानि॰ युवराजसिंह के मुताबिक सूचना बरामदगी के लिये गया था। मुल॰ काल्या उर्फ राजेन्द्र ने अपने रिहायशी मकान में से एक कूटिया लाकर पेश किया था जिसे जर्ये प्रदर्श पी-12 से जप्त कर सीलमोहर किया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ता॰ है, पुश्त पर बरामदगी का नक्शा अंकित है। मुल0 संजू उर्फ संदीप ने अपने रिहायशी मकान से एक लकड़ी बांस की निकालकर पेश की जिसे जर्ये प्रदर्श पी-13 से जप्त कर सीलमोहर किया था, पुश्त पर नक्शा बनाया था, जिस पर जी से एच उसके हस्ता॰ है। मुलजिम वीनू ने मुताबिक सूचना अपने रिहायशी मकान से एक लकड़ी बांस की लाकर पेश की थी जिसे मौके पर जर्ये प्रदर्श पी-14 से जप्त कर सीलमोहर किया व पुश्त पर नक्शा बनाया था, जिस पर ई से एफ उसके हस्ता॰ है।

19. गवाह पी0ड0-11 युवराज सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 15.03.2018 को वह थाना किशनगंज पर कांस्टेबल के पद पर तैनात था। इस दिन वह व कासमउद्दीन कानि0 मुकदमा संख्या 35/2018 में बंद मुलजिम काल्या उर्फ राजेन्द्र, संजू उर्फ संदीप और वीनू को लेकर अभयसिंह एएसआई के साथ गांव किसनाईपुरा गये थे, जहां पर मुलजिमान ने अभयसिंह एएसआई को उनके सामने काल्या उर्फ राजेन्द्र ने एक कूटिया, संजू उर्फ संदीप ने एक बांस की लकड़ी व वीनू ने एक लकड़ी बांस की अपने रिहायशी मकान में से निकाल कर आई ओ को पेश की थी जिन्हें सफेद कपड़े की थैली में पैक कर उनके सामने सील्ड मोहर किया था। फर्द जब्ती कूटिया, मुलजिम काल्या प्रदर्श पी-12 है, फर्द बरामदगी मुलजिम संजू प्रदर्श पी-13 पर उसके हस्ताक्षर ई से एफ और मुलजिम वीनू की फर्द प्रदर्श पी-14 है

जिन पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं तथा फर्द की पुश्तों पर बरामदगी स्थल के नक्शा मौका अंकित है।

20. गवाह पी0ड0-12 दयाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब 7-8 साल पहले की बात है। पुलिस ग्राम किशनाईपुरा में आयी थी। जहां पर पप्पू उर्फ किशन की खून आलूदा बनियान जप्त की थी। फर्द जप्ती खून आलूदा बनियान प्रदर्श पी-2 है जिस पर वाई स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

21. उक्त प्रकार से प्रकरण में परिवादी पप्पूलाल के द्वारा घटना के उपरांत पुलिस को दिये गये अपने पर्चा बयान के अनुसार घटना दिनांक 03-03-2017 को उसके घर जाते समय रमेश सहरिया के मकान के सामने उसे अभियुक्तगण द्वारा रास्ते में रोककर मारपीट करने, जिसका बीच बचाव रमेशचंद, उसकी पत्नी कमला बाई व मुन्नी बाई के द्वारा किये जाने के तथ्य अंकित करते हुए रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। इसी अनुसार अभियोजन की ओर से पत्रावली पर स्वयं परिवादी पप्पूलाल पी0ड0-5 के अतिरिक्त साक्षीगण कमला बाई पी0ड0-1 व मुन्नी बाई पी0ड0-7 को व इनके अतिरिक्त साक्षीगण उर्मिला पी0ड0-2 व दूधाराम पी0ड0-3 को भी घटना के चश्मदीद साक्षीगण के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जबकि घटना के समय मौजूद होना बताये गये एक अन्य व्यक्ति रमेशचंद अभियोजन की ओर से पत्रावली पर परीक्षित नहीं हुआ है। परिवादी पप्पूलाल पी0ड0-5, उर्मिला पी0ड0-2 व दूधाराम पी0ड0-3 तथा कमला बाई पी0ड0-1 के द्वारा परिवादी की ओर से दर्ज करवायी गयी रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 के अनुसार घटना की ताईद करते हुए तीनों अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पप्पूलाल के साथ मारपीट करने की बात कही गयी है। साक्षिया कमला बाई के द्वारा जहां अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त काल्या द्वारा पप्पू के सिर पर कूटिया से मारना जबकि संजू व बीनू के द्वारा लकडी से पप्पू के सिर पर मारने के कथन अपनी मुख्य परीक्षा में किये हैं। वहीं बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में तीनों ही अभियुक्तगण द्वारा मजरूब पप्पूलाल के सिर पर कूटिये से मारने की बात इस साक्षिया द्वारा बतायी गयी है। जबकि अन्य चश्मदीद साक्षिया मुन्नी बाई पी0ड0-7 के द्वारा अपने सशपथ कथनों में घटना एवं अभियोजन कहानी की कोई ताईद नहीं की है तथा अपने सामने अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ मारपीट कर उसे चोटें पहुंचाये जाने से स्पष्ट इंकार किया है, जिसे अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित करवाया जाकर जिरह किये जाने पर भी इसके द्वारा अपने को अभियोजन की ओर से दिये गये सुझावों से इन्कार करते हुए पुलिस को कोई भी बात बताने से इन्कार किया है। वहीं अन्य साक्षीगण दूधाराम व उर्मिला घटना के दौरान अपना मौके पर पहुंचना बताते हैं व घटना की ताईद करते हैं। उक्त प्रकार से घटना के संबंध में पत्रावली पर परीक्षित साक्षीगण के बयानों को देखे जाने पर यद्यपि घटना का एक चश्मदीद साक्षी रमेशचंद परीक्षित नहीं होना व एक अन्य चश्मदीद साक्षी मुन्नी बाई पक्षद्रोही हो जाना प्रकट हुआ है। इसके बावजूद स्वयं परिवादी पप्पूलाल एवं अन्य साक्षीगण के

द्वारा अभियोजन कहानी की ताईद अपने सशपथ कथनों में की गयी है, जिसमें यद्यपि कमला बाई के द्वारा जिरह में तीनों अभियुक्तगण का परिवादी के सिर में कूटिये से चोटें मारने की बात कहा जाना प्रकट हुआ है। परंतु उक्त साक्षिया द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी के अनुसार ही केवल काल्या के द्वारा पप्पू के सिर में कूटिया से मारने की बात कही है, जबकि अन्य अभियुक्तगण द्वारा लकडी से मारना बताया है। अतः अभियोजन कहानी की ताईद उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से होना प्रकट हुआ है, जिसमें कोई तात्विक विरोधाभास दर्शित नहीं हुआ है।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से घटना के उपरांत मजरूब पप्पूलाल के शरीर पर आयी चोटों का परीक्षण करने वाला चिकित्सक गिर्राज मीणा पी0ड0-5 के रूप में पत्रावली पर परीक्षित हुआ है, जिसके द्वारा सशपथ कथन करते हुए पप्पूलाल की चोटों का परीक्षण किये जाने पर उसके शरीर पर कुल तीन चोटें, जिसमें से चोट सं0-1 उसके दांयी तरफ सिर पर, चोट सं0-2 बांये हाथ पर व चोट सं0-3 दांये हाथ पर बतायी गयी है। उक्त तीनों चोटों में से चोट सं0-2 व 3 मात्र दर्द की शिकायत होना बतायी गयी है एवं सभी चोटें कुंद हथियार से कारित होकर साधारण प्रकृति की होने के कथन भी उक्त साक्षी द्वारा किये गये हैं तथा मजरूब पप्पूलाल का चोट प्रतिवेदन पत्रावली पर प्रदर्श पी-3 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर परीक्षित विशेषज्ञ साक्षी की साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि मजरूब के शरीर पर केवल एक जाहिरा चोट उसके सिर की ही कारित हुयी है। जबकि दो अन्य चोटें मात्र दर्द की शिकायत बतायी गयी है तथा सभी चोटें कुंद हथियार से कारित होकर साधारण प्रकृति की भी रही है। चिकित्सक की साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हुआ है कि उसके परीक्षण के समय मजरूब पप्पूलाल के वाईटल पैरामीटर्स में कोई असामान्यता रही हो अथवा उसके शरीर पर कारित किसी भी चोट के कारण उसके जीवन को खतरा होने की कोई भी संभावना रही हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा यद्यपि परिवादी पप्पूलाल के साथ मारपीट कर उसे चोटें कारित किया जाना साक्ष्य से प्रकट हुआ है, परंतु उक्त मारपीट के समय अभियुक्तगण परिवादी पप्पूलाल की मृत्यु चोटों के कारण हो सकने की संभाव्यता का ज्ञान रहना अथवा अभियुक्तगण का ऐसा कोई आशय रहना साक्ष्य से प्रकट नहीं हुआ है। साथ ही अभियुक्तगण द्वारा मजरूब को कारित कोई भी चोट न तो गंभीर प्रकृति की पायी गयी है, न धारदार प्रकृति की पायी गयी है एवं न ही प्राणघातक रही है। जहां तक अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पप्पूलाल को अपमानित करने के आशय से उसके साथ गाली गलाचे करने का प्रश्न है तो इस संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे यह दर्शित हो कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पप्पूलाल को अपमानित करने व लोक शांति भंग करने के आशय से सार्वजनिक स्थल पर गाली गलोच कर उसे अपमानित किया हो।

22. अतः उक्त प्रकार से प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से समग्र परिशीलन एवं विवेचन के उपरांत यह न्यायालय

इस निष्कर्ष का है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने कथित दिनांक, समय व स्थान पर मजरूब/परिवादी पप्पूलाल को उसकी इच्छित दिशा में जाने से निवारित कर उसका सदोष अवरोध करते हुए अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में उसके साथ स्वेच्छया कुंदालय से मारपीट कर उसके शरीर पर साधारण प्रकृति की उपहितयां कारित की। वहीं अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि उक्त अभियुक्तगण ने कथित दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय की पूर्ति में साशय अथवा इस जानकारी के साथ उन परिस्थितियों में मजरूब पप्पूलाल के साथ कुंद हथियार से मारपीट कर उसके शरीर पर ऐसी उपहतियां कारित की हो, जिससे यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में नहीं आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते तथा परिवादी पप्पूलाल को लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय गाली-गलौंच कर उसे अपमानित किया हो। फलतः अभियुक्तगण काल्या उर्फ राजेन्द्र, संजू उर्फ संदीप व बीनू धारा 308 सपठित धारा 34, 504 भा0 दं0 सं0 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है, जबकि उक्त अभियुक्तगण धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 के आरोप हेतु दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

- आदेश -

23. परिणामतः अभियुक्तगण **01.** काल्या उर्फ राजेन्द्र उम्र 25 वर्ष पुत्र गोबरीलाल, **02.** संजू उर्फ संदीप उम्र 22 वर्ष पुत्र गोबरीलाल, **03.** बीनू पुत्र गोबरीलाल उम्र 20 वर्ष पुत्र गोबरीलाल निवासीगण किशनाईपुरा थाना किशनगंज जिला बारां (राज0) को धारा 504, 308 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 के आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने के आधार पर उक्त अपराध के आरोपों से **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। जबकि उक्त अभियुक्तगण काल्या उर्फ राजेन्द्र, संजू उर्फ संदीप व बीनू को धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 के आरोपित अपराध में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम-01 बारां जिला बारां (राज0)

<u>सजा के बिंदु पर सुना गया</u> -

24. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क किये हैं कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण निर्धन व्यक्ति हैं तथा सन 2017 से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अभियुक्तगण को पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है, न ही प्रोबेशन का लाभ दिया गया है। इस संबंध में

अभियुक्तगण की ओर से इस बाबत अपने शपथपत्र भी प्रस्तुत किये हैं। अतः उनके प्रति नरमी का रूख अपनाये जाने की प्रार्थना की गई।

25. अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए यह तर्क किये गये हैं कि अभियुक्तगण के द्वारा आशयपूर्वक मजरूब को उसकी इच्छा के विरूद्ध रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की गई है। इस कारण अभियुक्तगण नरमी बरते जाने के अधिकारी नहीं है। अतः अभियुक्तगण को दंडित दिये जाने की प्रार्थना की गई।

26. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्तगण कुछ समय तक अभिरक्षा में रहना बताये गये है। अभियुक्तगण के द्वारा अपने विरूद्ध कोई पूर्व की दोषसिद्धी नहीं होने बाबत अपने शपथपत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं। अतः दोषसिद्ध अपराधों की प्रकृति, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितयों, अभिरक्षा व विचारण की अवधि, अभियुक्तगण की आयु, अवस्था आदि को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

- <u>दण्डादेश</u> -

27. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण **01.** काल्या उर्फ राजेन्द्र उम्र 25 वर्ष पुत्र गोबरीलाल, **02.** संजू उर्फ संदीप उम्र 22 वर्ष पुत्र गोबरीलाल, **03.** बीनू पुत्र गोबरीलाल उम्र 20 वर्ष पुत्र गोबरीलाल निवासीगण किशनाईपुरा थाना किशनगंज जिला बारां (राज0) को धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर उन्हें तुरंत कारावास के दण्डादेश से दंडित नहीं करते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) का लाभ इस शर्त के आधार पर प्रदान किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त एक वर्ष की अवधि के लिये शांति व सदाचार बनाये रखेगें, अपराध की पुनरावृति नहीं करेगें, न्यायालय द्वारा सजा भुगतने के लिये तलब करने पर न्यायालय में स्वतः उपस्थित होगें, यदि इन शर्तो के अधीन प्रत्येक अभियुक्त एक वर्ष की अवधि के लिये 10 हजार रूपये की राशि का स्वयं का बंध पत्र इस न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करा ले तो उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है।

28. साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत बतौर अभियोजन व्यय प्रत्येक अभियुक्त 500/-रूपये अक्षरे- पांच सौ रूपये कुल 1500/-रूपये अक्षरे पन्द्रह सौ रूपये न्यायालय में जमा करावे जो राशि जमा राजकोष हो।

29. प्रकरण में फर्द जप्ती अनुसार जप्तशुदा माल बाद गुजरने मियाद अपील, अपील ना होने की सूरत में नियमानुसार नष्ट किया जावे।

30. अभियुक्तगण धारा 437-ए दं0प्र0सं0 के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय में 06 माह की अवधि में उपस्थित होने हेतु 10,000/-रू0 के जमानत मुचलके पेश करे।

31. अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम-01 बारां जिला बारां(राज०)

32. निर्णय आज दिनांक **06.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम-01 बारां जिला बारां(राज०)